20. Dr. M. S. Chadha,
Director-General of Health Services (Retd.),
Government of India and Vice-Chairman, Tuberculosis Association of India,
3 Red Cross Road,
New Delhi.

Annexure-III

THE TUBERCULOSIS ASSOCIATION OF INDIA B.C.G. VACCINATION

BCG vaccination was introduced in 1921 as a protective measure against tuberculosis. Since then, millions of children have been vaccinated in many countries of the world including India. The protective effect of B.C.G. depends on a number of factors such as the degree of endemicity of infection and the size of infactor pool in the community; extent of non-specific sensitization induced by atypical (usually non-pathogenic) mycobacteria in the environment; epidemiological situation in any country or community etc. A number of controlled studies to determine the protective effect of BCG have been carried out in different parts of the world and because of the variation in the factors mentioned above, there has been considerable disparity in the findings of the various studies.

A scintifically controlled study was started in a population of approximately 360,000 in Chingleput District of Tamil Nadu in 1968. The findings of this study have shown that *BCG did not protect against the bacillary form of pulmonary tuberculosis during the first 7 1|2 years of the follow up of the population.* This factor has been given a lot of publicity in the lay press. Views expressed have often been inaccurate and incomplete. It may be pointed out that the applicability of these findings to other situations even within the country needs careful assessment of the epidemiological factors involved. Furthermore, the study does not provide evidence, one way or the other, regarding the effectiveness of BCG vaccination in reducing the incidence of other types of tuberculous disease which follow soon after primary infection more particularly the meningeal type and the bone and joint type of disease etc. Since many studies carried out elsewhere have shown adequate protection by BCG vaccination against these types of disease, *it would be imprudent to deprive the vulnerable population of infants and vound children of this protection.*

Under the revised strategy adopted by the Government of India, BCG vaccination is being integrated with the expanded programme of immunization in rural areas so that all infants are vaccinated within 3 to 9 months of their birth. Vaccination of new borns and infants are being continued in urban areas in the maternity and other institutions as heretofore.

दानापुर डिवीजन के लेखा अधिकारी को मांग पत्र दिया जाना

6276. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया रेलवे एकाउन्ट्स एम्पलाइज एसोसिएशन्स की दानापुर ब्रांच ने 14 दिसम्बर, 1979 को पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन के लेखा अधिकारी को एक चौदह-सूत्री मांग पत्र दिया था ;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आल इण्डिया रेलवे एकान्ट्स एम्पलाइज एसोसिएशन, पूर्व रेलवे, दानापुर शाखा द्वारा अपने 14-12-1979 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत मांगों के सम्बन्ध में स्थिति

(1) पंचवर्षीय संशोधन के परिणाम-

स्वरूप 1-4-78 से रेलवे क्वार्टरों के किराये की दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि औचित्यपूर्ण नहीं है और इस वृद्धि को रेलवे क्वार्टरों के अनुरक्षण की दयनीय स्थिति जैसे यथा उल्लिखित विभिन्न कारणों से वापस ले लिया जाये क्योंकि कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं है ।

रेलवे क्वार्टरों के किराये में संशोधन सरकार की नीति के अनुरूप है । निर्माण एवं आवास मंत्रालय द्वारा रेलवे से भिन्न अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में ऐसी ही प्रक्रिया अपनायी जाती है ।

सफेदी, रंग-रोगन, दरवाजों और खिड़कियों की मरम्मत जैसी आवधिक सरकार की नीति के अनुरूप है । निर्माण की उपलब्धता को देखते हुए काम की कुल मात्रा को वर्ष दर वर्ष के आधार पर विनियमित किया जाता है। आम तौर पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों की वर्ष में एक बार और श्रेणी 3 के कर्मचारियों के क्वार्टरों की लगभग 2 वर्ष में एक बार देखभाल की जाती है ।

शौचालयों को एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर सफाईयुक्त बनाया जा रहा है । दानापुर के सभी क्वार्टरों में इस से संबंधित काम 1980-81 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

बरामदा रसोई जैसी सुविधाओं की व्यवस्था भी एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर की जाती है 'वी' टाइप जैसे कुछ किस्म के क्वार्टरों में बरामदे की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

यह सही है कि दानापुर में ईस्टर्न कालोनी के क्वार्टर नं. - 468, 469 और 467 में पानी की सप्लाई के सम्बन्ध में अस्थायी तौर पर कुछ कठिनाई पैदा हो गयी थी क्योंकि नल-कूप से कम पानी निकल रहा था। एक नया नलकूप बनाया जा चुका है और पानी की सप्लाई की स्थिति सुधर गयी है ।

(2) रेलवे कालोनी में सफाई की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है क्योंकि नालियों की सफाई नहीं की जाती है और कूड़े के ढेर जमा होने दिये जाते हैं । इन कालोनियों का स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता ।

रेलवे क्वार्टरों और उनके आसपास की छोटी नालियों की लगभग रोजाना सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई की जाती है जबकि बड़ी नालियों की सफाई सप्ताह में एक बार की जाती है। मुख्यालय के मलेरिया निरोधक दल द्वारा एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर समय-समय पर मच्छरों के अण्डे नष्ट करने के लिए तेल का छिड़काव किया जाता है ताकि मच्छर न पनपने पायें। निकटवर्ती पेड़ों के सूखे पत्तों के नियमित रूप से और प्रायः गिरते रहने से नालियों में पानी के बहाव में बाधा पड़ती है परन्तु उन्हें शीघ्र साफ कर दिया जाता है । दानापुर में रेलवे की कालोनियां पांच मील की परिधि में फैली हुई है । स्वास्थ्य निरीक्षक को विभिन्न कालोनियों में तैनात सफाई कर्मचारियों के काम का बारी-बारी से पर्यवेक्षण करना होता है । यह सम्भव नहीं है कि वह प्रत्येक कालोनी में रोजाना जांच के लिए चक्कर लगाये ।

(3) कार्य के विश्लेषण को आधार पर काम और उसका मापदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए। इन मापदण्डों के आधार पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।

क्षेत्रीय रेलों पर कार्यभार के आधार पर कर्मचारियों की व्यवस्था करने के मानदण्ड मौजूद है । समय-समय पर प्रस्तुत औचित्य के सन्दर्भ में तथा पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित सरकार के आदेशों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के प्रस्तावों की जांच की जाती है ।

(4) 3 या 4 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पदोन्नति पर मण्डल से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए और उन्हें वहां ही पदोन्नति दे दी जानी चाहिए ।

लेखा विभाग, पूर्व रेलवे की यह एक सामान्य नीति है कि 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी को, जहां तक व्यवहारिक हो, पदोन्नत होने पर उसी स्टेशन पर रहने दिया जाये। यदि उसी स्टेशन पर खाली

जगह उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित व्यक्ति को पदोन्नत करके साथ के निकटतम स्टेशन पर तैनात कर दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति पर उस स्टेशन से बाहर जाने से इन्कार करता है तो इस तरह से इनकार के लिए उसे कोई दण्ड नहीं दिया जाता और जब भी उसके पुराने स्टेशन पर कोई जगह खाली होती है, तो उसे वहां पदोन्नति देने के बारे में विचार किया जाता है। मांग पत्र में जिस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है उसे उसी स्टेशन पर तैनात करने के लिए कोई खाली जगह उपलब्ध नहीं थी।

(5) लेखा कर्मचारी इस सूचना से सन्तुष्ट नहीं है कि सब-हेड के पद बोर्ड द्वारा समाप्त किये जा रहे हैं। बल्कि ग्रेड 1 के चार क्लर्कों पर एक सबहेड की व्यवस्था की जानी चाहिए।

रेल कर्मचारियों के दोनों महासंघों के परामर्श से 1-4-80 से लागू संशोधित ढांचे के अनुसार अब जब भी सामान्य प्रक्रिया में सबहेड की कोटि में जगहें खाली होंगी, उन पर सबहेड के बदले प्रवरण ग्रेड के क्लर्क तैनात किये जायेंगे।

(6) क्लर्क ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के वेतनमानों को मिला दिया जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों कोटियों के कर्मचारियों को ड्यूटी में नाममात्र का अन्तर है। वर्तमान वेतनमान इस प्रकार के होने चाहिएं कि श्रेणी 3 और 4 का कोई भी कर्मचारी अपने अधिकतम वेतन पर रुकने न पाये जैसी कि इस समय स्थिति है।

क्लर्कों के दोनों ग्रेडों को मिलाने और एक वर्तमान वेतनमान लागू करने के प्रश्न पर वेतन आयोग द्वारा विगत में कई बार विचार किया गया है परन्तु इस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ है क्योंकि प्रशासन के हित में दोनों ग्रेडों को बनाये रखना अनिवार्य है।

(7) विभिन्न ग्रेडों में वेतनमानों के अधिकतम पर रुके सभी कर्मचारियों को राहत दी जाये।

वेतनमानों के अधिकतम पर रुके कर्मचारियों को राहत देने के प्रश्न पर रेलें अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं ले सकतीं, क्योंकि यह प्रश्न सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित है। आशा है, हाल में किये गये संवर्गों के पुनर्गठन से कर्मचारियों को पर्याप्त राहत मिलेगी।

(8) कर्मचारियों का हर 3 या 4 वर्ष बाद अन्तर-अनुभागीय स्थानान्तरण किया जाना चाहिए ताकि वे सभी अनुभागों का काम सीख सकें।

अनुभागों की कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना सामान्यत: एक निश्चित आधार पर कर्मचारियों का अन्तर-अनुभागीय स्थानान्तरण किया जाता है। वास्तव में, पिछले एक वर्ष में काफी संख्या में कर्मचारियों और अनुभागीय अधिकारी (लेखा) का विभिन्न अनुभागों में स्थानान्तरण किया गया है। शेष कर्मचारियों का भी चरणबद्ध आधार पर स्थानान्तरण किया जायेगा।

(9) श्रेणी 2 में पदोन्नति के लिए श्रेणी 3 के कर्मचारियों की परीक्षा समाप्त कर दी जानी चाहिए और पदोन्नतियां वरिष्टता के अनुसार विनियमित की जानी चाहिए।

सभी भारतीय रेलों पर अपनायी जा रही नीति के अनुसार न केवल लेखा विभाग के लिए बल्कि विभिन्न विभागों के लिए लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

(10) अनुभागीय अधिकारी (लेखा) के पद पर पदोन्नति सबहेड और अपेंडिक्स 3 की परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत के अनुपालन में की जानी चाहिए। लेखा विभाग में अपेंडिक्स 3-ए की केवल एक परीक्षा होनी चाहिए और उसमें प्रवेश वरिष्ठता के आधार पर दिया जाना चाहिए।

अनुभागीय अधिकारी (लेखा) के पद पर पदोन्नति के लिए अपेंडिक्स 3 (आई आर ई एम) की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना एक पूर्व शर्त है। इसलिए केवल वरिष्ठता के आधार पर सबहेड की अ. अ. (लेखा) के रूप में पदोन्नत करने के लिए कोई कोटा निर्धारित करने का औचित्य नहीं है। सभी पात्र कर्मचारियों को अपेंडिक्स 3 की परीक्षा

में बैठने की अनुमति दी जाती है । इसलिए वरिष्ठता को आधार पर प्रवेश को सीमित करने का कोई प्रश्न नहीं है।

(11) जैसा कि दानापुर मंडल के कर्मचारियों द्वारा अनुरोध किया गया है, जुलाई, 1979 में आयोजित अपेंडिक्स 2-ए की परीक्षा में असफल रहने वाले उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच की जाये और जो पास हों, उन्हें सफल घोषित किया जाये। इस पर विचार किया गया है और यह पाया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से जांच करवाने का कोई औचित्य या आवश्यकता नहीं है।

(12) पिछले 15 वर्षों से नैमित्तिक मजदूर के रूप में कार्यरत श्री बनारसी को सी.पी.सी. वेतन मान दिया जाये और उन्हें किसी उपयुक्त पद पर तैनात किया जाये।

श्री बनारसी को जब वह 25 वर्ष से अधिक आयु के थे, गंगा पुल परियोजना के लेखा विभाग में नैमित्तिक श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था । रेलवे से कहा गया है कि नियमानुसार उनके मामले को जांच की जाये और इस सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जाय। इस सम्बन्ध मे बाद में उत्तर दिया जायेगा ।

(13) रेलवे अस्पताल, दानापुर में रोगियों की अस्पताल से छुट्टी देने पर और नये रोगियों को भर्ती करने पर बिस्तरों की चद्दरें तत्काल बदली जायें । पहले से ऐसा किया जा रहा है और यह शिकायत तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(15) लेखा कर्मचारियों को कार्मिक शाखा के कर्मचारियों के समान वेतन पर्चियां दी जाये।

उन कर्मचारियों को वेतन पर्चियां दी जा रही हैं जिनके वेतन बिल कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये जाते हैं। दीर्घकालिक उद्देश्य यही है कि इस तरह का विवरण सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाय परन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी होगी जब अधिक से अधिक वेतन बिलों को कम्प्यूटर की मदद से तैयार किया जायेगा ।

रेलवे बोर्ड के लेखा विभाग में पदों का समाप्त किया जाना

6277. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड के लेखा विभाग में क्लर्क ग्रेड एक के 80 प्रतिशत, क्लर्क ग्रेड दो के 20 प्रतिशत और सलैक्शन ग्रेड तथा सब-हैड के 20 प्रतिशत पद समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या रेलवे के लेखा विभाग के वे कर्मचारी जो परिशिष्ट-2 की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते उसी ग्रेड में सेवा निवृत्त हो जाते हैं और यदि किसी कर्मचारी को ग्रेड एक में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसा केवल तभी किया जाता है जब वह सेवा निवृत्त होने वाला होता है;

(ग) क्या राजपत्रित अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने हेतु जोनल और डिवीजनल स्तर पर नये पद बनाये जाते हैं और समाप्त पदों को लाटाये जाने के नाम पर श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं ।

(ख) क्लर्क ग्रेड 1 के 25 प्रतिशत पद वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर क्लर्क ग्रेड 2 के उन कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए निर्धारित है जो अपेंडिक्स 2 परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं कर पाते। साधारणतया इस बात की संभावना नहीं रहती कि ऐसे कर्मचारी की सेवा निवृत्ति का समय निकट आने पर पदोन्नति मिले ।

(ग) और (घ). राजपत्रित संवर्ग में नये पदों का सृजन मुख्यत: कार्यभार की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाता है न कि राजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति-सरणि को व्यापक बनाने की दृष्टि से। ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के समतुल्य पदों का अभ्यर्पण करके राजपत्रित पदों का सृजन करना स्वीकार्य नहीं है।